

सं० सं० 14 / एम 11-2 / 16
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डा. आजाद हिन्द प्रसाद
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

सेवा में,

निदेशक,

टाटा स्मारक अस्पताल,

परेल, मुम्बई -400012

पटना, दिनांक.....

विषय:- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 6.4.16 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	शिप्रा मिश्रा पति-गोविन्द कुमार मिश्रा मोहल्ला-म.न.-7, रोड नं०-1ए शिवपुरी, पो०+थाना-शास्त्रीनगर जिला पटना केसफाइलनं०-सीके / 19360	कैंसर रोग	₹ 60,000 /-(साठ हजार) स्वीकृत।
2	चन्द्रशेखर प्रसाद पिता-लखन राम प्रसाद ग्राम-नुरानी बाग कोलनी डी पो०-गुलजारबाग थाना-आलमगंज जिला-पटना केसफाइलनं०-सीएन / 07289	कैंसर रोग	₹ 80,000 /-(अस्सी हजार) स्वीकृत।
3	राम दुलार दुबे पिता-मुनेश्वर दुबे ग्राम-भरुहीया पो०-सिरहीरा, थाना-चौद जिला-भभुआ, कैमुर केफफाइलनं०-सीएन / 00610	कैंसर रोग	₹ 50,000 /-(पचास हजार) स्वीकृत।
			कुल ₹ 1,90,000 /

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 1,90,000 /- (एक लाख नब्बे हजार) रूपया का क्रास चेक सं०.....SD 9296.....मूल रूप में संलग्न है।

31/11/13
13/11/13

3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मॉग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
4. मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय। अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि/यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डा. आजाद हिन्द प्रसाद)

निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

पटना, दिनांक 18.04.16

ज्ञापांक 563 (14)

प्रतिलिपि-लेखापाल,स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/सभी संबंधित मरीजों को/ आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/1/16
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)
21.1.16